न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

रसद विविधः: 90/2024

जी.सी.एम.एस.नम्बरः: 2024/369

प्रार्थी:-	बनाम	अप्रार्थी:-
सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी पाली		1. सुरजमल पुत्र पुनमचंद निवासी महालक्ष्मी गार्डन रोड नया गावं पाली (हाल मालिक) फर्म मैसर्स आशापुरा एन्टरप्राईजेज वाडी नदी पुलिया के पास माहेश्वरी मार्केट के सामने वाली गली पाली 2. मैसर्स वासुदेव एचपी गैस एजेन्सी इन्द्रा कॉलोनी रोड पाली

"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955"

उपस्थित :-

1. प्रार्थी स्वयं उपस्थित।
2. अप्रार्थीसंख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री राधाकृष्ण उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्द्र गहलोत उपस्थित।

-: निर्णय :-

दिनांकः 30/01/2025

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रस्तुत कर अप्रार्थी द्वारा घरेलु गैस सिलेण्डरों को अवैध रूप से व्यवसायिक उपयोग संग्रहण एवं भण्डारण कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन आदेश 2000 के क्लॉज 3ए,सी की अवहेलना कर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1995 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध करने से 22 जब्तसुदा सिलेण्डरों, एक गैस भरने की इलेक्ट्रीक मोटर मय रेग्यूलेटर नली को राज्यसात करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अति. जिला कलेक्टर, पाली (राज.)

प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनो को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 13.11.2024 को मन प्रवर्तन अधिकारी पाली हमराह तेजसिंह मेड़तिया प्रवर्तन अधिकारी, जितेन्द्रसिंह आशिया प्रवर्तन अधिकारी एवं श्रीमती कृष्णा कवंर भाटी प्रवर्तन अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से गैस सिलेण्डर की अवैध रिफिलींग एवं घरेलु गैस सिलेण्डरों का अवैध व्यावसायिक उपयोग की रोकथाम हेतु भ्रमण के दौरान अप्रार्थी की फर्म मैसर्स आशापुरा एन्टरप्राईजेज वांडी नदी पुलिया के पास, माहेश्वरी मार्केट के सामने वाली गली पाली पर पहुंचे। मौके पर सूरजमल पुत्र पुनमचंद उपस्थित मिले जिन्होने खुद को फर्म का प्रोपराईटर होना बताया। मौके पर रूबरू मौतबिरान मोहम्मद अली खिलजी पुत्र मोहम्मद युसुफ खिलजी, निवासी 191 नाडी मोहल्ला, पाली की उपस्थिति में प्रतिष्ठान की जांच के दौरान 03 घरेलु गैस सलेण्डर (14.02 किग्रा) पाये गये जिसमें से 1 घरेलू गैस सलेण्डर, 1 गैस भरने वाली

अति. जिला कलेक्टर, पाली

इलेक्ट्रीक मोटर से जुडा हुआ पाया गया। जिसके संबंध में प्रतिष्ठान के मालिक से पुछने पर बताया कि वह गाडियो एवं ऑटो में घरेलु गैस भरने का कार्य करता है, अप्रार्थी के प्रतिष्ठान के पास में स्थित गोदाम जो अप्रार्थी का है जिसका निरिक्षण करने पर उसमें 19 घरेलु गैस सलेण्डर रखे पाये गये। इस प्रकार अप्रार्थी के पास कुल 22 घरेलु गैस सलेण्डर (18 एच पी कम्पनी एवं 4 इण्डेन कम्पनी) के पाये गये। जिनके बारे में फर्म मालिक से पुछने पर बताया कि एच पी गैस सलेण्डर मैसर्स वासुदेव एच पी गैस एजेन्सी इन्द्रा कॉलोनी पाली से लेना बताया एवं इण्डेन गैस सलेण्डर के बारे में पुछने पर कोई स्पष्ट एवं संतोषप्रद जवाब दिया। जिस पर गैस सिलेण्डरों के अवैध रूप से भण्डारण एवं व्यावसायिक उपयोग में लिए जाने पर गैस सिलेण्डरों का उपयोग रूकवाया जाकर मौके पर मैसर्स लक्ष्मी इण्डेन गैस सर्विस, पाली के प्रतिनिधी द्वारा हैंगिग स्केल से तौल करवाने पर निम्न सारणी–1 के अनुसार स्थिति पाई गई :–

सारणी–1

(वजन Kg.मे)

क्र. सं.	नाम	कम्पनी	सिलेण्डर पर एलपीजी उपदर्शित मानक भार/क्षमता	भरे हुये सिलेण्डर का वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	शुद्ध गैस का वजन	सिलेण्डर नम्बर
1	घरेलु गैस सिलेण्डर	HPCL	14.200	29.900	15.700	14.200	26005 S
2	घरेलू गैस सिलेण्डर	HPCL	14.200	29.200	15.00	14.200	7002 E
3	घरेलू गैस सिलेण्डर	HPCL	14.200	29.500	15.400	14.100	929642 T
4	घरेलू गैस सिलेण्डर	HPCL	14.200	30.000	15.800	14.200	295847 T
5	घरेलू गैस सिलेण्डर	HPCL	14.200	29.500	15.600	13.900	054148 S
6	घरेलू गैस सिलेण्डर	HPCL	14.200	29.900	15.600	14.300	378656 S
7	घरेलू गैस सिलेण्डर	HPCL	14.200	30.200	16.000	14.200	169197 T
8	घरेलू गैस सिलेण्डर	HPCL	14.200	29.700	15.600	14.100	612512 S
9	घरेलू गैस सिलेण्डर	HPCL	14.200	29.700	15.600	14.100	189509 T
10	घरेलू गैस सिलेण्डर	HPCL	14.200	29.500	15.400	14.100	513139 T
11	घरेलू गैस सिलेण्डर	HPCL	14.200	29.700	15.500	14.200	181711 T
12	घरेलू गैस सिलेण्डर	HPCL	14.200	30.300	16.200	14.100	66901
13	घरेलू गैस सिलेण्डर	HPCL	14.200	20.2000	15.800	4.800	502998 T
14	घरेलू गैस सिलेण्डर	HPCL	14.200	18.2000	15.700	2.300	52618 T
15	घरेलू गैस सिलेण्डर	HPCL	14.200	15.500	15.500	0.000	598311 S
16	घरेलू गैस सिलेण्डर	HPCL	14.200	15.600	15.600	0.000	111598 P
17	घरेलू गैस सिलेण्डर	HPCL	14.200	16.100	16.100	0.000	389233 T
18	घरेलू गैस सिलेण्डर	HPCL	14.200	15.600	15.600	0.000	188407 S
19	घरेलू गैस सिलेण्डर	HPCL	14.200	29.700	15.900	0.000	16398
20	घरेलू गैस सिलेण्डर	HPCL	14.200	30.000	15.800	14.200	12037
21	घरेलू गैस सिलेण्डर	HPCL	14.200	29.800	15.700	14.100	407857
22	घरेलू गैस सिलेण्डर	HPCL	14.200	15.700	15.700	0.000	14030
	एक गैस भरने की इलेक्ट्रीक मोटर मय रेग्युलेटर नली						

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

इस प्रकार उपरोक्तानुसार सारणी–1 में वर्णित गैस सिलेण्डर व अन्य सामान को जब्त कर वजह सबूत कब्जे में लेकर अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु मनोज कुमार पुत्र

घेवरराम निवासी 188, महाराणा प्रताप नगर, पाली हाल मैनेजर मैसर्स लक्ष्मी इण्डेन गैस सर्विस, पाली को सुपुर्दगीनामे पर सुपुर्द किया गया। उपरोक्त कार्यवाही के मौके पर उपलब्ध मोबाईल फोन से फोटोग्राफ्स लिये गये जो वजह सबूत पत्रावली संलग्न है व निरीक्षण पर्चा मय फर्द अभिग्रहण एवं सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त घरेलु गैस सलेण्डरों का अवैध भण्डारण एवं व्यावसायिक उपयोग में लेना आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अन्तर्गत जारी आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के क्लोज 3ए, सी के उपवन्धों की अवहेलना की है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रस्तुत कर निवेदन है कि जब्तसुदा 22 घरेलू गैस सिलेण्डरों (14.2 किग्रा) एवं एक गैस भरने की इलेक्ट्रीक मोटर मय रेग्युलेटर नली को राज्यसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे।

अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता ने वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी की फर्म से प्रवर्तन अधिकारी पाली द्वारा जब्तशुदा घरेलु गैस सिलेण्डर अप्रार्थी के परिचितो के है जिसे उनकी फर्म में भरवाने के लिए रखी थी। जिनका व्यवयायिक उपयोग नहीं किया जा रहा था, उपरोक्त प्रकरण मिथ्या एवं झुठा है। अतः हस्तगत प्रकरण विधिविरूद्ध होने से खारिज फरमाकर प्रार्थी द्वारा जब्त गैस सिलेण्डर मय गैस भरने की इलेक्ट्रीक मोटर मय रेग्युलेटर नली अप्रार्थी को लौटाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 02 के अधिवक्ता ने वक्त बहस एवं अपने लिखित जवाब में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 01 की फर्म से जैर प्रार्थना पत्र प्रकरण में जब्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर प्रार्थी की फर्म के नहीं है, न ही अप्रार्थी संख्या 01 को किसी प्रकार कि सप्लाई दी जाती है। हमारी फर्म से उपभोक्ता द्वारा गैस सिलेण्डर की बुकिंग करवाने पर उसके घर जाकर गैस सिलेण्डर की सप्लाई दी जाती है। हमारी फर्म द्वारा समस्त कार्यवाही नियमानुसार की जाती है अतः जैर प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप करवाने का श्रम करावें।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की फर्म मैसर्स आशापुरा एन्टरप्राईजेज, बांडी नदी पुलिया के पास, माहेश्वरी मार्केट के सामने वाली गली, पाली पर घरेलु गैस सिलेण्डर का अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग की रोकथाम हेतु भ्रमण दौरान पहुंचे, जहां पर अप्रार्थी एवं मौके पर रूबरू मौतबिरान मोहम्मद अली खिलजी पुत्र मोहम्मद युसुफ खिलजी, निवासी 191, नाडी मोहल्ला, पाली की उपस्थिति में अप्रार्थी की फर्म एवं गोदाम का निरीक्षण करने पर अप्रार्थी की फर्म एवे गोदाम में कुल 22 गैस सिलेण्डर (4 इण्डेन कम्पनी एवं 18 एचपी) के घरेलु गैस सिलेण्डर पाये गये, जिनमें से 01 गैस सिलेण्डर 1 गैस भरने वाली इलेक्ट्रीक मोटर से जुडा हुआ पाया गया जिनका अप्रार्थी द्वारा व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। उक्त गैस सिलेण्डर के उपयोग के बारे में अप्रार्थी ने कोई सन्तोषप्रद जवाव नहीं दिया और न ही इसके सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये, जिसकी ताईद प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण पर्चा से होती है।

इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफस के अवलोकन से भी यह जाहिर होता है कि घरेलु गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग हो रहा था, जिस पर प्रार्थी द्वारा उक्त घरेलु गैस सलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग रूकवाकर हैगिंग स्केल द्वारा तौल किया एवं गैस सिलेण्डर कब्जे में लेकर म मैसर्स लक्ष्मी इण्डेन गैस सर्विस, पाली को सुपुर्द किया। साथ ही मौके पर अप्रार्थी 1 गैस सिलेण्डर पर गैस भरने वाली मोटर का उपयोग करते हुये

अति. जिला कलेक्टर, पाली

पाया गया। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त समस्त कार्यवाही मौके पर द्रवित गैस, पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवसं विनियमन) आदेश 2000 के तहत की है। साथ ही अप्रार्थी भी दौराने बहस यह स्पष्ट करने में असमर्थ रहे कि उक्त जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग नहीं हो रहा था। जिससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 के उपवन्धों की अवहेलना की है। लिहाजा उक्त जब्तसुदा घरेलु गैस सिलेण्डरों को राज्यसात (Confiscate) किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

परिणामस्वरुप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण द्वारा अपने प्रतिष्ठान पर उपरोक्त सारणी–1 में वर्णित 22 घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध व्यावसायिक उपयोग किए जाने पर जब्तसुदा घरेलु गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) के अवैध भण्डारण एवं उपयोग कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के क्लोज 3ए, सी के उपवन्धों की अवहेलना किये जाने से उक्त 22 गैस सिलेण्डरों को मय गैस एवं एक गैस भरने की इलेक्ट्रीक मोटर मय रेग्यूलेटर नली राज्यसात (Confiscate) किया जाता हैं। निर्णय की सत्यप्रति जिला रसद अधिकारी, पाली को प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि जब्त सुदा घरेलु गैस सिलेण्डरों को मय गैस सुपुर्ददार से प्राप्त कर राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक F 8618/खा.ले./नीति/6A/2020 जयपुर दिनॉक 19.08.2000 एवं उसकी पालना में खादय एवं नागरिक रसद विभाग द्वारा जारी पत्रांक F04{23} खा.ले/नीति/6A/89 जयपुर दिनॉक 16.11.1999 के अनुरूप ही जब्तसुदा गैस सिलेण्डरों एवं एक गैस भरने की इलेक्ट्रीक मोटर मय रेग्यूलेटर नली के निरतारण की कार्यवाही की जावे।

निर्णय आज दिनांक 30/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर वाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली